



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44750

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 8034 वर्ष 2026

धर्मी देवी एवं अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता	:	राज कुमार सिंह
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता (सी.एस.सी.) को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, प्रत्यर्थीगण को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रत्यर्थीगण उक्त आदेश से किसी प्रकार से व्यथित हों, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु विधि अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्तागण द्वारा मूलतः यह राहत प्रार्थित की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या-2/उपजिलाधिकारी, तहसील-निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि अपील संख्या-टी202515060210774 वर्ष 2025 का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए।
4. याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आज दिनांक तक उक्त प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि संबंधित न्यायालय उपर्युक्त अपील का निस्तारण विधि के अनुसार, यथाशीघ्र एवं यथासंभव चार माह की अवधि के भीतर करे, तथा किसी भी अनावश्यक स्थगन से बचे, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

दिनांक : 26 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।